BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXV | 12th November 2014 | No. 16

वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ चैम्बर में बैठक

• अपराध एवं जाम की समस्या से व्यवसाय हो रहा प्रभावित – चैम्बर अध्यक्ष • पुलिस समस्याओं के समाधान में प्रयासरत – डी०आई०जी०
• कानून व्यवस्था बनाये रखना प्राथमिकता – वरीय पुलिस अधीक्षक • यातायात नियंत्रण हेतु कई योजनाएँ शुरू – ट्रैफिक एस०पी०

बैठक में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल । उनकी बाँयी ओर क्रमशः डीआईजी श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, एसएसपी श्री जितेन्द्र राणा, ट्रैफिक एसपी श्री प्राणतोष कुमार दास एवं एएसपी टाउन श्री विवेकानन्द ।

पटना में नव नियुक्त पुलिस अधिकारियों का सम्मान और पटना में अपराध एवं यातायात जैसे ज्वलंत मुद्दों पर संवाद हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में शनिवार दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 को वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की। उक्त अवसर पर डी०आई०जी० श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, एस०एस०पी० श्री जितेन्द्र राणा, एस०पी० ट्रैफिक श्री प्राणतोष कुमार दास और ए०एस०पी० टाउन श्री विवेकानंद उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने व्यवसायियों को अपराध एवं जाम से हो रही समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बड़े पुलिस थानों के अंतर्गत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना, यातायात में होने वाली कठिनाइयाँ, अलग यातायात नियंत्रण कक्ष की स्थापना, दुपहिया वाहनों पर सघन पेट्रोलिंग, व्यापारिक अवधि में खासकर दीपावली के अवसर पर पेट्रोलिंग में वृद्धि, व्यापारियों एवं उद्यमियों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस विभाग में एक विशेष विंग की स्थापना आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस के मनोबल में वृद्धि हेतु उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चैम्बर इस कार्य में पुलिस प्रशासन के सहयोग हेतु तत्पर है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं अन्य व्यवसायिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए एवं पुलिस प्रशासन की परामर्शी समितियों में चैम्बर का उपयोग अपराध उन्मूलन के प्रयासों में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने जजेज कोर्ट रोड में भी पुलिस आउट पोस्ट तत्काल स्थापित किये जाने का आग्रह किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि अपराध एवं जाम की समस्या से व्यवसायियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, अतः इस समस्या से निजात पाने के लिए कारगर एवं ठोस कदम उठाना अत्यावश्यक है।

बैठक में उपस्थित चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, हथुआ मार्केट व्यवसायी समिति के प्रतिनिधि श्रीमती सुषमा साहू, श्री संजय अग्रवाल, श्री शिव कुमार पोद्दार, न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति के प्रतिनिधि, श्री रामाशंकर प्रसाद, पटना केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोशिएशन के महामंत्री श्री संतोष कुमार, श्री गोविन्द कनोडिया, श्री सुबोध जैन, श्री राजेश जैन, श्री अमित मुखर्जी, श्री उत्पल सेन, श्री रतन बिहारी सहित कई लोगों ने यातायात संबंधित समस्याओं पर पुलिस पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया एवं त्वरित निदान हेतु कार्रवाई का आग्रह किया।

व्यवसायियों की समस्याओं को सुनने के पश्चात् डी०आई०जी० श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे दुनिया के साथ आज पटना में भी ट्रैफिक की जटिल समस्या है। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या का निदान क्या है, इसे विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि चैम्बर और जिला प्रशासन को यातायात की समस्या के निदान हेतु मिलकर बड़े प्रोफेसनल से सर्वे कराना चाहिए। उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा भीड़-भाड़ वाले व्यवसायिक इलाके में वाहन लेकर न जाएँ, पैदल ही मार्केटिंग करें। उन्होंने विदेशों तथा दिल्ली के हॉज खास और कनॉट प्लेस का उदाहरण देते हुए बताया कि यहाँ लोग पैदल ही मार्केट एरिया में चलते हैं। डी०आई०जी० ने कहा कि ट्रैफिक एस०पी० का जोश और सीनियर एस०पी० की सोच मिलकर यातायात और विधि व्यवस्था पर नियंत्रण करेंगे।

सीनियर एसपी श्री जितेन्द्र राणा ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर वह छठ

चैम्बर सदस्यों को संबोधित करते डीआईजी श्री उपेन्द्र कुशवाहा । उनकी दाँयी तरफ क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ।

बाद प्रत्येक सप्ताह लोगों के साथ बैठक करेंगे। क्राइम कंट्रोल के अतिरिक्त ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु लोगों का सहयोग लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि शहर में जहाँ-जहाँ अतिक्रमण है, उसे हटाकर ट्रैफिक को सहज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने व्यवसायियों से कहा कि आप अपनी समस्या के बारे में किसी भी वक्त उन्हें सूचित कर सकते हैं। कोई पुलिस वाला यदि गलती करता है तो उसकी फोटो लेकर आप मेरे मोबाइल फोन के वाट्स-एप पर भेज सकते हैं। उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

श्री राणा ने कहा कि अपराधियों को फिर से सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कई योजनाएँ शुरू की है। शहर में 80 स्थानों का चयन किया गया है। वहाँ दो-दो सिपाहियों की तैनाती की गई है। उन्हें आधा किलोमीटर के इलाके में गश्त करने के लिए आदेश दिया गया है। जल्द ही दिन में भी इसी तरह की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने चैम्बर द्वारा बताये सभी बिन्दुओं पर विचार करने का आश्वासन दिया। व्यवसायियों को सुरक्षा हेतु अपने प्रतिष्ठानों में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाने और उसे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ने का आग्रह किया।

इस अवसर पर ट्रैफिक एस०पी० प्राणतोष कुमार दास ने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हाल ही में कई योजनाएँ शुरू की गई है जिससे काफी हद तक सफलता भी मिली है। कई सड़कों को वन-वे किया गया है। शहर में जाम नहीं लगे इसके लिए हम तत्परता से कार्य कर रहे हैं। फलस्वरूप, फुलवारीशरीफ व कदमकुआँ इलाके में जाम नहीं लग रहा है। अब अशोक राजपथ में भी जाम नहीं लगेगा। जी०पी०ओ० से लेकर स्टेशन गोलम्बर तक के इलाके में वेंडरों को साइड कर दिया गया है। अतिक्रमण भी हटाये गये हैं। स्टेप वाइज हर इलाके की ट्रैफिक की समस्या के निदान का प्रयास हो रहा है।

चैम्बर अध्यक्ष ने डी०आई०जी० महोदय के द्वारा यातायात की समस्या के निदान हेतु प्रोफेशनल ग्रुप से सर्वे कराये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही जजेज कोर्ट रोड की जाम की समस्या पर भी ट्रैफिक एस०पी० का ध्यान आकृष्ट किया।

इस बैठक में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, पूर्व उपाध्यक्ष श्री टी० बी० एस० जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारी, चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा सहित चैम्बर के सदस्य तथा प्रेस एवं मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

चैम्बर महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा छठ महापर्व के अवसर पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने छठ महापर्व के शुभ अवसर पर लोगों को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पटना के फोर्ड अस्पताल के सहयोग से पटना कलेक्ट्रीयट रोड में दिनांक 29.10.2014 एवं 30.10.2014 को मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस शिविर में काफी लोगों ने स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्यमियों ने साफ किया काली घाट

कालीघाट दरभंगा हाउस का नजारा दिनांक 26.10.2014 को बदला हुआ था।

काली घाट की सफाई करते चैम्बर के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्यगण।

समाज के हर तबके के लोगों का जुटान था। सैकड़ों लोगों की भीड़ आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान के सफाई महाअभियान से जुड़ने पहुंची थी। हर हाथ में झाड़ू, बेलचा व सफाई के सामान। मन में छठ व्रतियों की सहूलियत के लिए घाट की पूरी सफाई का संकल्प दिख रहा था।

घाट पर पहुंचते ही हाथों में थामा झाड़ू : कालीघाट पर सुबह करीब 11:30 बजे से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। बिहार चैम्बर कॉमर्स से जुड़े उद्यमी, घाट पर पहुंचे। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व प्रमुख उद्योगपति पी. के. अग्रवाल का जज्बा तो देखने लायक था। चलने में परेशानी होने के बाबजूद वे घाट पर सफाई के लिए पहुंचे थे।

उन्होंने हिन्दुस्तान के इस अभियान को अच्छी पहल बताया। बताया। चैम्बर के उपाध्यक्ष शशिमोहन, कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महासचिव ए. के. पी. सिन्हा, सबके सब सीढ़ियों को बुहारते नजर जाए। **(साभार : हिन्दुस्तान, 27.10.2014)**

महीने के अंतिम कार्य दिवस में उद्यमी अदालत

राज्य में उद्यमियों को उद्यम लगाने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सरकार काफी गंभीर है। उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में उद्यमी अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत विकास भवन में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के कार्यालय में तीन बजे दिन में आयोजित की जाएगी। इस अदालत में प्रत्येक महीने की 20 तारीख तक प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। उद्यमी अपना आवेदन उद्योग विभाग के निदेशक, तकनीकी विकास के नाम से प्रेषित करेंगे। उद्यमियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 25.10.2014)

कारोबार में सुविधा के मामले में भारत 142 वें स्थान पर

• **142वें** स्थान पर खिसक गया है, कारोबार में सुविधा के मामले में भारत, पिछले साल यह 140 वें स्थान पर था • **52.78** प्वाइंट मिले हैं भारत को इस साल इस सूची में आने के लिए जबकि पिछले साल भारत को **53.97** प्वांइट मिले थे • **88.27** प्वाइंट के साथ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है इस सूची में।

शीर्ष देश	रैंक
सिंगापुर	1
न्यूजीलैंड	2
हांग कांग	3
डेनमार्क	4
दक्षिण कोरिया	5

देश	रैंकिंग
अमेरिका	7
ब्रिटेन	8
चीन	90
श्रीलंका	99
नेपाल	108
मालदीव	116
भूटान	125
पाकिस्तान	128
भारत	142

(साभार : प्रभात खबर, 30.10.2014)

एक दिन में हो सकेगा कंपनी का पंजीकरण

आर्थिक सुधारों से जुड़े बड़े फैसलों के साथ-साथ सरकार देश में कारोबार करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी आसान बनाकर मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रही है। चाहे वे औद्योगिक लाइसेंस की अवधि बढ़ाने का मामला हो या फिर उनमें क्षमता पर लगे प्रतिबंध को वापस लेना। इसी क्रम में सरकार अब कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने हेतु कुछ और कदम उठाने पर विचार कर रही है।

कॉरपोरेट से जुड़ी सिफारिशें : कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए विभाग का सुझाव है कि व्यवसाय के पंजीकरण में लगने वाले समय को मौजूदा 27 दिन से घटाकर कनाडा और न्यूजीलैंड के समान एक दिन किया जाना चाहिए। साथ ही कारोबार की शुरुआत के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी और कंपनी की मुहर होने की अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है।

कम हो करों की संख्या : राजस्व विभाग को करों की संख्या घटाने, टैक्स ढांचे को आसान बनाने और एसईजेड विकसित करने वाली कंपनियों व वहां लगने वाली युनिटों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) खत्म करने का सुझाव दिया गया है। डीआइपीपी ने अपने इन सुझावों पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है।

हालात बदलने की कोशिश : विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार करने के माहौल के मामले में भारत का दुनिया में 134 वां स्थान है। इस सूची में सिंगापुर शीर्ष पर है। इस हालात को बदलने के लिए बीते दो महीने में सरकार ने कई फैसले ऐसे लिए हैं, जिनका असर आने वाले महीनों में औद्योगिक माहौल पर दिखेगा। सबसे पहला काम सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस की अवधि को एकमुश्त सात साल के लिए जारी करने का किया। **(दैनिक जागरण, 23.10.2014)**

स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड की सख्ती

सूबे के 911 राइस मिलरों की संपत्ति होगी जब्त

प्रदेश के 911 राइस मिल मालिकों की संपत्ति जब्त की जाएगी। बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने संबंधित राइस मिल मालिकों को राशि जमा करने को 15 नवम्बर तक मोहलत दिया है।

निगम ने राइस मिल मालिकों को नोटिस भी जारी किया है। इस दौरान राशि जमा नहीं करने वाले मिल मालिकों के विरुद्ध पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट (पीडीआर) के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 911 राइस मिल मालिकों पर आरोप है कि 2012-13 में 905.19 करोड़ रुपये निगम से लेने के बावजूद चावल जमा नहीं किए। निगम को 2011-12 में 311 करोड़, 2012-13 में 491 करोड़, 2013-14 में 802 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तीन वित्तीय वर्ष में निगम को 21 सौ करोड़ का घाटा हुआ है। निगम ने कुछ बकायेदारों पर निलामपत्र वाद भी दायर किया है। 15 नवंबर से एक बार फिर धान की खरीददरी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दागी राइस मिल मालिकों को निगम धान अधिप्राप्ति के लिए चयनित नहीं कर सकता है।

नई व्यवस्था होगी : • बड़े राइस मिल को क्रय केंद्र बनाया जाएगा • मिल मालिक की सहमति के बाद ही धान देने की व्यवस्था होगी • धान लेने के बाद 15 दिन का समय पर चावल नहीं देने पर मिलरों पर होगी एफआईआर।

"वैसे राइस मिलरों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो निगम से पैसा लेने के बाद भी चावल जमा नहीं किए। पहले उन्हें नोटिस भेजी जा रही है। उसके बाद पैसा जमा नहीं करने पर उनका राइस मिल जब्त किया जाएगा।" **– अरविन्द्र कुमार सिंह,** प्रबंध निदेशक, बीएसफसी, बिहार

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.11.2014)

पांच लाख से अधिक कर्ज वाले बुनकरों को भी लाभ

राज्य सरकार ने बुनकरों के फायदे के लिए बुनकर ऋण योजना में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब इस योजना के तहत पांच लाख से अधिक कर्ज लेने वाले बुनकरों के भी पांच लाख के ऋण माफ होंगे। अबतक 5 लाख तक के कर्जधारक बुनकरों को ही इस योजना का लाभ मिलता था।

उद्योग मंत्री डॉ. भीम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों की समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। बुनकरों के लाभ के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य में हस्तकरघा प्रक्षेत्र के बुनकर विभिन्न बैंकों-वित्तीय संस्थानों से ली गई कर्ज की राशि वापस करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। जिससे उनको नया ऋण नहीं मिल रहा था। इस परिस्थिति में राज्य का बहुत बड़ा समुदाय अपनी आजीविका की मुख्यधारा से हटने की स्थिति में आ गया था। इसकी समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने हस्तकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों के कल्याण और इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बुनकरों के बकाया बैंक ऋण की माफी की घोषणा की। इसके लिए 12.24 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.10.2014)

बिहार में खुलेंगे निजी विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने की बिहार सरकार की कोशिश कारगर होती दिख रही है। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान एमिटी समूह ने बिहार में निवेश करने की इच्छा जताई है। अधिकारियों के मुताबिक कई अन्य दिग्गज निजी संस्थान भी राज्य में तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 25.10.2014)**

बिजली नहीं होगी मंहगी

बिहार में फिलहाल बिजली मंहगी नहीं होगी। बिजली कंपनी के वित्तीय वर्ष 2012-13 में हुए 37 करोड़ के नुकसान को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। कंपनी ने टू अप (वास्तविक खर्च) पिटिशन दायर कर खर्च का ब्योरा दिया था। आयोग का मानना है कि चालू वित्तीय वर्ष के छह महीने बीत चुके हैं। इसलिए अब उपभोक्ताओं से किसी तरह की अतिरिक्त वसूली नहीं की जा सकती है। विनियामक आयोग के आदेशानुसार बिजली कंपनी अगले वित्तीय वर्ष (2015-16) के लिए जब टैरिफ पिटिशन दायर करेगी तो उसमें 37 करोड़ के नुकसान को शमिल कर सकती है। **(विस्तृत : हिन्दुस्ताान, 31.10.2014)**

वियतनाम ने बिहार में पर्यटन में निवेश की इच्छा जतायी

भारत में वियतनाम के राजदूत तानसीन थान ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भेंट की। कहा, वियतनामी पर्यटकों की रूचि बोधगया और बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े अन्य जगहों के भ्रमण में रहती है। वियतनाम के राजदूत ने बिहार में पर्यटन एवं मछली उत्पादन क्षेत्र में रुचि दिखाते हुए निवेश की इच्छा प्रकट की। कहा कि वे लोग यहां कृषि क्षेत्र में भी संभावनाएं तलाशेंगे। मुख्यमंत्री ने वियतनाम के राजदूत के नेतृत्व में आए वियतनामी शिष्टमडल को बताया कि पर्यटन महत्व के स्थलों को विकसित किया गया है। इसके लिए बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट सहित अन्य सर्किट बनाए गए हैं। वियतनाम के पर्यटकों का बिहार में स्वागत है। राज्य सरकार पर्यटकों के हर तरह की सुविधा का ख्याल रखेगी। वियतनाम के राजदूत ने मुख्यमंत्री को वियतनाम के प्रधानमंत्री एनगुयेन तान डुंग की प्रस्तावित बिहार यात्रा से भी अवगत कराया और कहा कि प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात की इच्छा रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह माननीय प्रधानमंत्री वियतनाम से मुलाकात करेंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.10.2014)**

निवेश के लिए सख्ती से लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम

निवेशकों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार अब सूबे में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सख्ती से लागू करने जा रही है। हालांकि सूबे में पहले से सिंगल विंडो सिस्टम लागू है, पर इसके कार्यान्यवन में कई दिक्कतें आ रही थीं।

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 13 अक्टूबर को हुई बैठक में सिंगल विंडो क्लियरेन्स प्रणाली को सुदृढ़ता से लागू करने पर मुहर लगाई गई है। बताया जाता है कि बैठक में निवेशको के हित में समय सीमा के अंदर उद्योगों की स्थापना की मंजूरी देने पर बात बनी है। विद्युत कनेक्शन लेने में आ रही अड़चनों को भी दूर करने पर ठोस नीति बना ली गई है। विद्युत कनेक्शन लेने के लिए सीधे बैंक खाते में केंद्रीकृत पेमेंट की व्यवस्था की गई है। सिंगल विंडो अधिनियम के तहत संयुक्त आवेदन फार्म लागू करने पर भी राज्य सरकार सख्त है। पूर्व में संबंधित सभी विभागों को संयुक्त आवेदन फार्म उपलब्ध करा दिया गया है। उद्योग विभाग के मंत्री भीम सिंह का कहना है कि सूबे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार

सभी अड़चनों को दूर करेगी। सरकार सूबे के विकास के लिए कृत संकल्पित है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार सूबे में सरकारी जमीन की कमी को देखते हुए निवेशकों के लिए दो नया रास्ता निकालने जा रही है। पहली नीति के तहत अब बियाडा निजी जमीन मालिकों से सर्किल रेट पर जमीन खरीद कर निवेशकों को देगा। इस जमीन में भू मालिकों को भी 10 प्रतिशत मालिकाना हक दिया जाएगा। दोनों रास्ते खुलने से निवेशकों को बिहार में बल मिलेगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) निवेशकों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए नयी नीति पर काम कर रहा है। इस नीति के तहत बियाडा जमीन मालिकों से सर्किल रेट पर जमीन खरीदेगा और उन्हें उस जमीन पर 10 प्रतिशत हिस्से का मालिकाना हक भी देगा। इस तरह जमीन मालिक को जहाँ बाजार मूल्य की कीमत मिल जाएंगी वहीं जमीन के 10 प्रतिशत हिस्से का मालिकाना हक भी बना रहेगा। दूसरी नीति के तहत राज्य सरकार निवेशकों से निजी जमीन मालिकों को सीधे लीज पर जमीन देने के लिए बातचीत कराएगी और निगोसिएसन के जरिये यह जमीन निवेशकों को मिलेगी। दोनों नयी नीतियां अभी तैयार हो रही हैं।

"सूबे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सभी अड़चनों को दूर करेगी। सरकार सूबे के विकास के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।" **– भीम सिंह,** उद्योग मंत्री

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 27.10.2014)

टैक्स के दायरे में आया जीवन बीमा

जीवन बीमा क्षेत्र में सुधारों का दौर चल रहा है। जनवरी, 2014 से सर्विस टैक्स लागू होने से प्रीमियम की राशि बढ़ गई है। इससे भी बड़ा बदलाव एक अक्टूबर से लागू हुआ है। इसके तहत कुछ स्थितियों में मैच्योरिटी के समय मिलने वाली रकम अब कर मुक्त नहीं रह गई है। जीवन बीमा में आयकर अहम भूमिका निभाता है इसलिए जरूरी है कि इस तरह के बदलाव की पूरी तरह से जानकारी कर लें ताकि पालिसी लेते वक्त ही कर संबंधी आकलन कर सकें।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 26.10.2014)

वित्त आयोग की रिपोर्ट टली

केंद्र द्वारा राज्यों को मिलने वाली वाली राशि के संबंध में वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। आयोग को रिपोर्ट 31.10.2014 को पेश करनी थी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आयोग ने कुछ विषयों पर गौर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इससे जुड़े जारी नियम-कायदे जस के तस रहेंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2015 से अगले पांच साल के लिए लागू होंगी। रिपोर्ट को संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अन्य राज्यों पर सिफारिशें तय हो चुकी है और रिपोर्ट जल्दी पेश करने की कोशिश की जाएगी। राज्यों ने 14 वें आयोग से केंद्र की ओर से मिलने वाली राशि में हिस्सा बढ़ाए जाने की मांग की थी। उन्होंने इसे मौजूदा 32.5 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने की गुजारिश की थी।

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 01.11.2014)

ई-कॉमर्स के विरोध में दुकानदार

ऑनलाइन कारोबार से परेशान खुदरा दुकानदारों ने 31.10.2014 को देश भर में प्रदर्शन किया। कारोबारियों की मांग है कि सरकार ऑनलाइन रिटेलर्स के कारोबारी मॉडल की जांच करे और खुदरा व्यापार के एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए।

खुदरा दुकानदारों ने 5 नवम्बर को मोबाइल, कंप्यूटर, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, फुटवियर सहित अन्य वर्गों की ब्रांड कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है क्योंकि ऑनलाइन रिटेल में चल रही व्यापारिक प्रवृति से कंपनियों की ब्रांड छवि भी प्रभावित हो रही है। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बैनर तले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलूर, कोलकाता, कोच्चि, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, वडोदरा, रायपुर समेत विभिन्न राज्यों में 150 से अधिक शहरों में कारोबारियों ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचने से इस साल दीवाली में दुकानदारों को कारोबार में करीब 45 फीसदी घाटा हुआ है। खंडेलवाल कहते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन एवं यूरोपियन संघ में ई-कॉमर्स के लिए नियम एवं कानून हैं। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के महासचिव धीरज मलिक ने भी सरकार से ऑनलाइन खुदरा कारोबार पर नियंत्रण के लिए नियामक गठित करने की मांग की है। दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव स्वर्ण सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रिटेल पर लागत से कम मूल्य में उत्पाद बेचना खुदरा दुकानदारों को खत्म करने का षडयंत्र नज़र आता है। **(साभार : बिज़नसे स्टैंडर्ड, 1.11.2014)**

ई-कॉमर्स में हैंडीक्राफ्ट निर्यात को मिलेगी टैक्स छूट

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ई-कॉमर्स के तहत निर्यात होने वाले हैंडीक्राफ्ट उत्पाद को एक्सपोर्ट इंसेंटिव के दायरे में लाने के बारे में विचार कर रही है। इससे ऑनलाइन माध्यम से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वालों के कॉस्ट में करीब 5-7 फीसदी की कमी का अनुमान है। फिलहाल कॉमर्शियल कन्साइनमेंट रूट के जरिए होने वाले एक्सपोर्ट में इंसेंटिव मिलता है।

क्या मिलेगा इंसेंटिव : • ई- कॉमर्स रूट के जरिए एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स में छूट मिलती है • एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर एक्साइज इयूटी में छूट • पैकेजिंग कॉस्ट पहले के मुकाबले काफी कम होगी • प्रोडक्ट की कीमतों में 5-7 फीसदी की कमी आएगी। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 28.10.2014)**

लॉकर में लूट की बैंक नहीं करेंगे भरपाई

आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जिस लॉकर को घर से ज्यादा सुरक्षित मानकर अपना सामान रखते रहे हैं, उसे यदि किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो संबंधित बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के नियमों के मुताबिक लॉकर में रखे गए सामान के खोने या चोरी होने के मामले में बैंक की कोई देयता नहीं बनती है। तर्क यह दिया जाता है कि बैंक को इसकी जानकारी नहीं होती कि किस ग्राहक ने लॉकर में क्या रखा है। ऐसी दशा में ग्राहक को किस आधार पर हर्जाना दिया जाए। आमतौर पर बैंक अपने लॉकर का बीमा करा कर रखते हैं। यह बीमा चोरी, आगजनी, बाढ़, आतकंवादी हमला, दीमक से क्षति वगैरह के संदर्भ में कराया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में बैंकों को बीमा कंपनियों से हर्जाना भी मिलता है। मगर हर्जाने की रकम को लॉकर के ग्राहकों के साथ शेयर करने के लिए बैंक बाध्य नहीं हैं।

यूको बैंक के पूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय कुमार ढींगरा ने लॉकर संबंधी नियमों के बाबत बताया कि लॉकर की क्षतिपूर्ति देने के लिए बैंक बाध्य भले न हों, लेकिन व्यवहार में वे कुछ क्षतिपूर्ति दे सकते हैं। यदि बैंक क्षतिपूर्ति देने से इन्कार करते है तो ग्राहक उपभोक्ता अदालत की शरण में जा सकते हैं।

लॉकर की दो चाभियां होती हैं। एक चाभी ग्राहक के पास होती है और दूसरी बैंक के पास। लॉकर को खोलने के लिए दोनों चाभी एक साथ लगानी होती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 28.10.2014)

खाते में रखें रुपया 25000 और एटीएम से करें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन

रिजर्व बैंक ने अगस्त में कहा था कि अन्य बैंक के एटीएम से महीने में केवल तीन बार ही मुफ्त में राशि निकाली जा सकती है, लेकिन एसबीआइ ने हाल ही नया ऑफर दिया है जिसके तहत अपने एसबीआइ के ग्राहक यदि अपने खाते में न्यूनतम 25000 रुपये बैलेंस रखते हैं, तो हर महीने जितनी बार चाहें पैसे की निकासी कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं करनी होगी। गौरतलब है कि आरबीआइ ने यह नये नियम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए जारी किये थे। यह एक नवम्बर 2014 से लागू हो जायेंगे।

(साभार : प्रभात खबर, 16.10.2014)

नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने की पहल पर बैंकों की बेरुखी

बिहार में नये उद्योग खोलनेवालों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग विभाग ने कई योजनाएं बनायी हैं, लेकिन बैंक नये उद्यमियों को ऋण देने में उदारता नहीं बरत रहा। बिहार में नये उद्योग खोलने के लिए उद्योग विभाग ने बैंक से ऋण के लिए 2004 लोगों की अनुशंसा की थी, पर बैंकों ने मात्र 23 का ही लोन स्वीकृत किया है। 2004 उद्यमियों ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बिहार में बैंक ऋण के लिए आवेदन दिये थे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

बैंकों को लिखा पत्र : उद्योग निदेशक शैलेश ठाकुर ने सभी बैंकों के जोनल हेड और जिला अग्रणी बैंकों के प्रबंधकों को पत्र लिख कर लक्ष्य अनुसार ऋण स्वीकृत करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी से आइसीआइसीआइ और एक्सिस जैसे प्राइवेट बैंकों से भी ऋण देने को लिखने को कहा है।

नये उद्योग खुलने पर ब्रेक : ऋण देने में बैंकों की उदासीनता का यह खुलासा उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में हुआ है। जमुई, किशनगंज, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में उद्योग खोलनेवालों को ऋण देने के लिए किसी बैंक ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। आठों जिले उद्योग के मामले में हाशिये पर हैं।

उद्योग खोलनेवालों को ऋण देने में बिहार के नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों ने कोई शाखावार लक्ष्य तक निर्धारित नहीं किया हैं। ऋण देने में बैंकों की बेरुखी से बिहार में नये उद्योग खुलने पर ब्रेक लग गया है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 31.10.2014)**

रिजर्व बैंक ने अधिसूचना जारी कर बैंकों को सख्ती बरतने का दिया निर्देश

केवाईसी कराएं नहीं तो खाता बंद

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) जमा नहीं कराने वाले ग्राहकों के खाते बंद करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इससे पहले खाताधारकों को समुचित समय दिए जाने और इसके बाद आंशिक रूप से खाता बंद (फ्रीज) करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यों जरूरी है केवाईसी : • बैंक के लिए लेन-देन पर नजर रखना आसान • अवैध लेन-देन पर अंकुश लगाने में मददगार • फोटो लगी पासबुक पता के रूप में मान्य दस्तावेज • चेकबुक या अन्य दस्तावेज डाक से मिलने में परेशानी नहीं • बैंकों के लिए खाते पर जोखिम पहचानना आसान • आतंकी गतिविधियों के लिए लेन-देन की आशंका घटेगी

क्या होगा असर : •खाता आंशिक रूप से बंद होने पर केवल राशि जमा करने की सुविधा • पुरी तरह बंद होने पर किसी भी तरह की लेन-देन करने की छूट नहीं • केवाईसी जमा कराकर ही पूरी तरह बंद खाते से पैसा निकाल सकते हैं।

प्रक्रिया का समय : • 3 महीने का समय खाताधारकों को देंगे बैंक केवाईसी के लिए • 1 बार रिमाइंडर भेजने के बाद तीन माह का और समय मिलेगा • 6 माह बाद भी केवाईसी नहीं जमा किया तो खाता आंशिक रूप से बंद होगा • 6 माह आंशिक रूप से बंद होने के बाद केवाईसी नहीं हुआ तो खाता पूरी तरह बंद होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.10.2014)

गैस सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में

पहली जनवरी से एलपीजी ग्राहकों के गैस सब्सिडी का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी से ही उसके लिए लग जाएं। हालांकि तेल कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी एलपीजी उपभोक्ता का पहली जनवरी तक आधार कार्ड नहीं बन पाता है तो उपभोक्ता के बैंक खाते से ही काम शुरू हो जाएगा।

इसके लिए तेल कंपनियां जल्द ही ग्राहकों से एक फार्म भरवाएंगी। इसमें बैंक एकाउंट नम्बर सहित कई जानकारियां ग्राहकों को देनी होगी। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने से इस पर अमल किया जाएगा।

सर्वर से पता चलेगा सब्सिडी मिली है या नहीं : यह सेवा शुरू होते ही ग्राहकों को सब्सिडी का पैसा सीधे उनके एकाउंट में चला जाएगा। यानी जब भी आप गैस की बुकिंग करेंगे, उसी समय सर्वर से पता चलेगा कि ग्राहक ने अब तक सब्सिडी कोटा का गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो उसी समय सब्सिडी का पैसा आपके एकाउंट में चला जाएगा। वेंडर जब गैस सिलेंडर लेकर आपके घर आएगा, उस समय ग्राहकों के बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का पैसा देना होगा।

एकाउंट नम्बर नहीं देने से क्या होगा : जो एलपीजी उपभोक्ता पहली जनवरी तक अपना बैंक एकाउंट नम्बर नहीं देंगे उन्हें बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलेगा। तेल कंपनी अधिकारियों का कहना है कि जिस दिन उपभोक्ताओं का बैंक एकाउंट नम्बर कंपनी के सर्वर से जुड़ेगा, उसी दिन से सब्सिडी का पैसा उनके एकाउंट में जाने लगेगा। जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते, उन्हें एकाउंट नंम्बर देने की जरूरत नहीं है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 31.10.2014)**

काले धन में नाम खोलने के खिलाफ एसोचैम

विदेशों में कालाधन रखने वालों के नाम उजागर करने की जोर पकड़ती मांग के बीच एसोचैम ने कहा कि सरकार को ऐसे नामों का खुलासा अपरिपक्व ढंग से नहीं करना चाहिए। इससे कालेधन के खिलाफ मुहिम पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

एसोचैम ने एक बयान में कहा, भारतीय नागरिकों व कंपनियों के लिए दोहरे कराधान बचाव करार अहम हैं, क्योंकि इससे वे दो बार टैक्स देने से बच सकते हैं। कथित कालाधन रखने वालों के नामों के खुलासे से भले ही सुर्खियां बन जाएं, लेकिन कालेधन के खिलाफ भारत की लड़ाई निश्चित रूप से कमजोर होगी। नाम का खुलासा होने के बावजूद अगर वे दोषी नहीं साबित हुए तो ऐसे लोगों व इकाइयों की साख को धक्का पहुंचेगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.10.2014)**

आधार कार्ड पर गृह मंत्रालय का यू-टर्न

आधार योजना पर गृह मंत्रालय ने यू-टर्न लेते हुए अब इसका पूरा समर्थन किया है। मंत्रालय ने कहा कि वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह इसके लाभार्थियों को इसके प्रमाणन में मदद करेगी।

मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि एक आधार नंबर एक ही व्यक्ति को आवंटित करने पर उसे पहचानने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है, चूंकि आधार व्यक्ति की भौगोलिक और बायोमेट्रिक सूचना पर आधाति है, इसलिए धोखाधड़ी और फर्जी गतिविधियाँ खत्म करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह व्यक्ति की सार्वभौम पहचान करने में मदद करेगा। यह कभी भी, कहीं भी और किसी भी तरह लाभार्थियों की पहचान की प्रामाणिकता की पुष्टि करने का एक स्त्रोत होगा। आधार कार्ड वंचित और जरूरतमंद लोगों को बैंकिगं सुविधा जैसी सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद करता है। आधार से दूसरे स्थान पर जाने वालों को सार्वभौम पहचान की सुविधा मिल सकेगी। सरकार अब लोगों को सेवा और सुविधा प्रदान कर सकेगी, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं के आधार से जुड़ने के कारण आधार कार्ड उपयोगी है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 27.10.2014)**

इक्विटी के लिए बैंकों को मिलेंगे नए रास्ते

नए मानकों के मुताबिक बहुत ज्यादा फंड की जरूरत महसूस कर रहे सरकारी बैंकों के लिए सरकार जल्द ही कुछ नए रास्ते खोलने जा रही है। इन बैकों में केंद्र सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम हिस्सेदारी की सीमा 58 से घटाकर 52 फीसद करने जा रही है। इसके साथ ही इन बैंकों के इक्विटी आधार को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय खजाने से 10 हजार करोड़ रुपये की राशि और देने की तैयारी है। इस बारे में एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है जिस पर महीने भर में फैसला होने की संभावना है।

फंड की किल्लत : • सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी सरकार • नए मानक लागू करने के लिए चाहिए 2.4 लाख करोड़

इन बैंकों को होगा लाभ : बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, आइडीबीआइ बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 1.11.2014)

पांच से ज्यादा बार एटीएम इस्तेमाल पर लगेगा शुल्क

धन की निकासी हो या बैलेंस पूंछताछ जैसे अन्य ट्रांजैक्शन, एटीएम का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा। होगा। पांच से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल किया तो प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से 20 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। इस बाबत रिजर्वे बैंक के नए दिशानिर्देश शनिवार से लागू हो जाएंगे। छह मेट्रो-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलूर के बैंक ग्राहकों को हर महीने सिर्फ पांच बार ही अपने बैंक एटीएम से ट्रांजैक्शन की छूट होगी। दूसरे बैंकों के एटीएम से वे तीन बार ही मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। हालांकि, आरबीआइ ने स्पष्ट किया है

कि बैंक चाहें तो दूसरे बैंकों के एटीएम इस्तेमाल पर तीन से अधिक ट्रांजैक्शन की छूट दे सकते है। केंद्रीय बैंक का नया नियम छह मेट्रो शहरों के अलावा लागू नहीं होगा। बाकी जगहों पर एटीएम इस्तेमाल की व्यवस्थ पहले जैसी रहेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.11.2014)

पटना-गया डोभी फोरलेन का काम जनवरी से होगा

पटना-गया-डोभी सड़क यानी एनएच-83 की फोरलेनिंग का काम आईएलएंडएफएस (इंफ्रास्ट्रक्चर लिजिंग एंड फिनांसियल सर्विसेज लिमिटेड) कराएगी। जापान के वित्तीय संस्थान जाइका के लोन से बनने वाली 125 किमी लंबी सड़क पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले वर्ष जनवरी से इस पर काम शुरू होने की संभावना है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 31.10.2014)

टोल प्लाजा के लिए मिलेंगे अब प्रीपेड चिप

टोल प्लाजा पर कतार में लगने और टोल टैक्स चुकाने के लिए खुदरे के इंतजाम आदि से अब मुक्ति मिलेगी। एनएचआई की देखरेख में बनी सड़कों पर जो टोल प्लाजा हैं, वहां चिप आधारित प्रीपेड टोल की तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। जिन वाहनों पर ये चिप लगे होंगे, उनके लिए अलग लेन होगी। उन्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे ही वह लेन में जाएंगे उनका टोल टैक्स चुकता हो जाएगा।

पटना-बख्तियारपुर से होगी शुरूआत : चिप के माध्यम से टोल टैक्स संग्रह की प्रक्रिया बिहार में नव निर्मित पटना-बख्तियारपुर फोर लेन से शुरू होगी। टोल प्लाजा पर अलग लेन का निर्माण पूरा हो चुका है। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि अगले वर्ष जनवरी-फरवरी तक बिहार के 11 टोल प्लाजा पर इस तरह की व्यवस्था होगी।

पेट्रोल पंपो पर मिलेंगे चिप : एनएचएआई की योजना है कि कुछ पेट्रोल पंपों पर भी इस तरह के चिप की बिक्री शुरू की जाए। वहां पूर्व से रिचार्ज चिप उपलब्ध होंगे। ऐसे में कोई भी वाहन मालिक सहजता से इसे खरीद सकेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.11.2014)

कई पाटों के बीच पिस रहा बिहार का पर्यटन उद्योग

परेशानी • राज्य में नहीं है अपना टूरिज्म एक्ट • उद्योग नीति से गाइड होती है पर्यटन नीति, असीम संभावनाएं होते हुए भी निवेश न के बराबर

राज्य का पर्यटन विभाग कई-कई पाटों में पिसने को मजबूर है। विभाग की पर्यटन नीति औद्योगिक नीति से गाइड होती है। औद्योगिक नीति उद्योग विभाग का अधिकार क्षेत्र है। टूरिस्ट बसों को परमिट देने का मालिकाना हक परिवहन विभाग के पास है और होटलों के निबंधन का अधिकार 1863 के सराय एक्ट के तहत जिलाधिकारी के पास है। कुल मिलाकर विभाग की हालत बिजूका जैसी है। उसके पास मेला-महोत्सव और चंद बसें चलाने के अलावा शायद ही कुछ काम है।

बिहार में टूरिस्ट ट्रैफिक

2012		2013	
घरेलू	2.15 करोड़	घरेलू	2.5 करोड़
विदेशी	10.97 लाख	विदेशी	7.66 लाख

• पर्यटन विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता व्यवसाय • 20 वर्षों से इस क्षेत्र की विकास दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष • वैश्विक जीडीपी में पर्यटन का योगदान 11 प्रतिशत • विश्व के कुल रोजगार में 8 फीसदी पर्यटन क्षेत्र में • वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का अनुमान है कि भारत के जीडीपी ग्रोथ में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 6.60 प्रतिशत रहेगा और देश में कुल पैदा होने वाले रोजगार के अवसर में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.70 प्रतिशत होगी।

पर्यटन और बिहार

समस्याएं : • पर्यटन स्थलों के इर्द-गिर्द का वातावरण स्तरीय नहीं • बिहार के बारे में अवधारणा कि यह सुरक्षित स्थान नहीं हैं • परिवहन व्यवस्था दुरुस्त नहीं • पर्यटन स्थलों के बारे में प्रचार-प्रसार का अभाव, पर्याप्त प्रशिक्षित बल नहीं।

संभावनाएं : • बिहार का इतिहास 3000 साल पुराना • धार्मिक पर्यटन • सांस्कृतिक पर्यटन • ग्रामीण पर्यटन • योग आधारित पर्यटन • बुद्धिस्ट सर्किट

होटल : • राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान 56.40 प्रतिशत है और इसमें होटल और रेस्टोरेंट का हिस्सा 22.30 प्रतिशत। सरकार इसे फोकस एरिया माने, तो अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना है।

गुंजाइश : • राज्य में अभी होटल के कमरों और पर्यटकों का औसत 1 कमरा प्रति 1000 भी नहीं हैं। मात्र 0.35 बेड प्रति हजार उपलब्ध है। होटल का एक कमरा तीन लोगों को प्रत्यक्ष और 8 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देता है।

"पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए हम भी स्टेट टूरिज्म एक्ट बनाने की कोशिश में हैं। हम मानते हैं कि बिहार टूरिज्म की ब्रांडिंग कमजोर है। हम पर्यटकों को समुचित सर्विस नहीं दे पा रहे। सुधार हो रहा है। अगले बजट में टूरिज्म बजट में ठीक-ठाक बढ़त होने की उम्मीद है।"

– **जावेद इकबाल अंसारी**, पर्यटन मंत्री

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 31.11.2014)

उद्यमियों और श्रमिकों को पीएम का तोहफा

मोदी ने किया श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ, उद्योगों को बढ़ावा देने और वर्कर्स के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर गढ़ी गई योजना

पीएम नरेंद्र मोदी ने 16.10.2014 को अनेक श्रम सुधार कार्यक्रम पेश किए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की अगली कड़ी माने जो रहे इस प्रोग्राम की शुरुआत पर मोदी ने पीएफ के लिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर के जरिए पोर्टेबिलिटी, श्रम मंत्रालय के साथ कामकाज में सहूलियत प्रदान करने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था के लिए पोर्टल और श्रम निरीक्षण योजना की शुरुआत की। साथ ही मोदी ने 16 फार्मों - (जिसे उद्योग मालिकों को भरना होता था) को एक फार्म में बदल दिया है और यह ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा मोदी ने लेबर और वर्कर्स के स्किल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा है। मोदी ने कहा कि देश में रोजगार सृजन के लिए उद्योगों का होना जरूरी है और इस दिशा में छोटे उद्योग विशेषकर लाभकारी होते हैं। ऐसे में अगर लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति विश्वास बहाली की जाए तो परिदृश्य काफी हद तक बदल सकता है।

क्या है परियोजना का मकसद ? : • दुनिया को 2020 तक स्किल्ड लोगों की बहुत जरूरत है। ऐसे में नई जनरेशन में जॉब क्रिएटर और जॉब करने वाले दोनों तैयार करना है • स्किल डेवलपमेंट को भारत में बढ़ावा देना • सरकार नहीं सबकी भागीदारी से देश को आगे बढ़ाना • सरकार को अनस्किल्ड वर्कर्स को भी स्किल्ड वर्कर्स की श्रेणी में लाने का प्रयास करना • गरीबों के 27 हजार करोड़ रुपए पीएफ में पड़े हैं जो उन्हें लौटाना है • श्रमेव जयते के जरिए लेबर लॉ और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना।

क्या कहा मोदी ने? • इस योजना से श्रमिक खुद भी एक शाक्ति बन जाएगा • एक श्रम योगी राष्ट्र योगी बनेगा और फिर राष्ट्रनिर्माता बन जाएगा • मेरा शर्ट पैसों के कारण नहीं कई लोगों की मेहनत से मुझे मिला है • पांच साल में बहुत काम करना है इसलिए एक दिन में पांच-पांच काम निपटा रहा हूँ।

क्या-क्या लॉन्च किया मोदी ने ? : • मोदी ने की श्रमेव जयते योजना की शुरुआत • श्रम सुविधा पोर्टल की भी शुरुआत हुई • श्रम सुधारों के लिए चार योजनाएं शुरू • पीएम ने किया अखिल भारतीय कौशल स्मारिका का विमोचन • यूएएन योजना लांच होने से पहले ही लागू हुई।

किसके लिए क्या होगा खास ?

वर्कर : • श्रम समस्याओं को कामगारों के नजरिए से देखने का मौका • आईटी को मिलेगा बढ़ावा। इससे लेबर्स और वर्कर्स में स्किल डेक्लपमेंट होगा संभव • असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा • कंपनी बदलने से भी नहीं बदलेगा यूएएन नंबर • कर्मचारी को पीएफ की जानकारी लेने में आसानी होगी • श्रम पोर्टल पर होगी सभी 44 श्रम कानूनों की जानकारी।

उद्योगपति : • छोटे कारोबारियों को मिलेगी फार्म के झंझट से मुक्ति • उद्योगों के लिए 16 फार्मों की जगह एक फार्म • उद्योगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। हर अपडेट साझा होगा वेबपेज पर जिससे लोगों को समस्याओं के निस्तारण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा • इस परियोजना से इंस्पेक्टर राज का अंत हो जाएगा। ड्रॉ के द्वारा तय होगा इंस्पेक्शन का इलाका। इससे मोनोपॉली टूटेगी।

(साभार : आइनेक्स्ट, 17.10.2014)

मजदूरों और बेरोजगारों का होगा कौशल विकास

राज्य के असंगठित मजदूरों व बेरोजगार युवकों के कौशल विकास की कार्य योजना बनाई गई है। इस काम में निजी कंपनियों से लेकर गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। खासकर बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने की योजना पर अगले माह से अमल शुरू हो जाएगा।

श्रम संसाधन विभाग ने युवकों में कौशल विकास के लिए दो निजी कंपनियों के साथ समझौता किया है। ये कंपनिया आटीआई उत्तीर्ण या न्यूनतम दसवीं पास युवाओं को 'लर्न एंड अर्न' नीति के तहत प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार भी देंगी। दो साल की प्रशिक्षण अवधि में सात हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। दो साल की ट्रेनिंग के बाद सफल अभ्यर्थियों को यशवंत राव मुक्त विवि, पुणे का डिप्लोमा दिया जाएगा। साथ ही उन्हें किसी कंपनी में रोजगार भी दिलाया जाएगा।

नियुक्ति : • श्रम संसाधन विभाग अगले माह से उपलब्ध कराएगा अवसर • कौशल विकास के लिए निजी कंपनियों से किया गया करार (हिन्दुस्तान, 25.10.2014)

बाल श्रम उन्मूलन की रफ्तार पड़ी सुस्त

राज्य में 'बाल श्रम उन्मूलन अभियान' फिर सुरत पड़ गया है। दशहरा के पूर्व राजधानी में करीब एक सप्ताह तक बच्चों से मजदूरी कराने वालों की धड़पकड़ की गई। उस छापेमारी अभियान में औसतन पांच मामले रोज पकड़े गए। बावजूद इसके राज्य के अन्य शहरों व कस्बों में कोई अभियान नहीं चलाया गया। नतीजतन, होटलों-ढाबों, दुकानों व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बच्चों से फिर धड़ल्ले से काम कराये जा रहे हैं। (विस्तृत - हिन्दुस्तान, 31.10.2014)

पासपोर्ट के लिए गांवों में अभियान

पासपोर्ट का आवेदन जमा करने के लिए लम्बी-लम्बी लाइन में लगने का झंझट खत्म होने वाला है। जल्द ही गांवों में शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा यह अभियान नवंबर से शुरू किया जाएगा। शिविर में अप्वाइंटमेंट के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार की योजना घर-घर पहुंचे सरकार के तहत इस योजना की शुरूआत की जा रही है। सीवान में सबसे पहले शिविर लगाकर आवेदन लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नम्बर 1800-258-1800 पर कॉल कर सकते हैं। एसएमएस के जरिये भी पासपोर्ट संबंधी जानकारी दी जा रही है। (साभार : हिन्दुस्तान, 26.10.2014)

अनावश्यक विलंब को माना जायेगा भ्रष्टाचार

कैंप लगा कर होगा दाखिल-खारिज

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दाखिल-खारिज के लिए अब पंचायत से अंचलों तक शिविर लगाने का निर्णय लिया है। लोक सेवा अधिकार कानून लागू होने के बावजूद निर्धारित समय सीमा में दाखिल-खारिज नहीं होने और बिना कारण आवेदनों को खारिज करने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर विभाग ने यह कदम उठाया है। ये शिविर हर पांच पंचायतों पर लगाये जायेंगे। इसके अलावा सभी अंचलों में महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को शिविर लगेंगे।

ये होंगे लाभ

• दाखिल-खारिज के मामले में भ्रष्टाचार खत्म होगा • सरकार के खाते में राजस्व की बढ़ोतरी होगी • जमीन संबंधी विवादों में कमी आयेगी • गांव-गांव तक लोगों को सुविधा मिलेगी, कार्यालयों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

(विस्तृत: प्रभात खबर, 25.10.2014)

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभग ने संबंधित डीएम को जल्द नयी जमीन दर संशोधित कर भेजने को कहा

छह जिलों की एमवीआर अब तक नहीं हुई तैयार

राज्य में नयी एमवीआर (जमीन रजिस्ट्री की न्यूनतम दर) तैयार करने का कार्य तकरीबन सभी जिलों में हो चुका है, परंतु अब भी छह जिले इसमें पीछे चल रहे हैं। सभी 38 जिलों को 15 अक्तूबर तक इसे तैयार करना था। इसके बाद भी गया, भागलपुर, कटिहार, बांका, अररिया और सीतामढ़ी जिलों की एमवीआर अब तक तैयार नहीं हो सकी है। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में जमीन पुनर्मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। इन जिलों में डीएम की अध्यक्षता में इसकी अंतिग बैठक नहीं होने से जमीन रजिस्ट्री की नयी दरों निर्धारण नहीं हो पा रहा है। निबंधन एवं उत्पाद मद्य निषेध विभाग ने सभी संबंधित डीएम को जल्द एमवीआर तैयार कर इसका नोटिफिकेशन भेजने को कहा है।

आइ फीस बढ़ कर पांच हजार रुपये : किसी दूसरे अंचल क्षेत्र में पड़ने वाली जमीन की रजिस्ट्री दूसरे अचल क्षेत्र में कराने पर आइ फीस जमा करनी पड़ती है। इसे 150 रुपये से बढ़ा कर पांच हजार रुपये कर दिया गया है। इतनी अधिक बढ़ोतारी से ग्रामीण क्षेत्रों या कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने में किसानों को काफी परेशानी होगी। मसलन संपतचक की जमीन की रजिस्ट्री फुलवारीशरीफ अंचल निबंधन कार्यालय के स्थान पर पटना सदर कार्यालय में करायी गयी जायेगी, तो इसके लिए पांच हजार रुपये आइ फीस के रूप में देने पड़ेंगे।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 1.11.2014)

मुश्किल होगा होल्डिंग छिपाना

पटना के सभी मकानों को होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी

लगातार बढती आबादी, हर दिन खड़ी होती इमारतों के बाद भी टैक्स के नाम पर झोली खाली। पटना नगर निगम की दशा कुछ ऐसी ही हो कर गई है। नई बस्तियां और नई कॉलोनियों के निर्माण के बाद भी निगम के पास टैक्स मद में उतनी राशि नहीं आ रही जितनी की प्रत्येक वर्ष वह उम्मीद करता है।

एक नजर पटना शहर पर	
निगम का क्षेत्र	109.218 वर्ग किमी
शहर की आबादी	18.50 लाख
शहर की केटेगरी	बी टाउन
वार्डों की संख्या	72
कुल होल्डिंग सं.	1.98 लाख

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 26.10.2014)

90 साल के लिए मिलेंगे आवास बोर्ड के फ्लैट

बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित आवासीय फ्लैटों की लीज की अवधि 90 साल करने की मंजूरी सरकार ने दी है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। (साभार : दैनिक जागरण, 26.10.2014)

गंगा किनारे के उद्योग अब सीधे नहीं डाल पाएंगे सीवरेज

प्रदेश में गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए किनारे पर चलने वाले उद्योगों को नोटिस भेजकर, उनसे मार्च 2015 तक रियल टाइम इफ्लूयेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए कहा गया है। सिस्टम के जरिए सीधे केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् इन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण पर नजर रख सकेंगे। सिस्टम नहीं लगाने वाले उद्योगों पर समय सीमा के बाद कार्रवाई की जाएगी। गंगा में सफाई के पहले चरण को लेकर यह आदेश केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया है।

क्विक Facts : • 2015 मार्च तक सभी को मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का आदेश • बिहार में कुल 13 औद्योगिक ईकाइयां गंगा के किनारे हैं • 600 एमएलडी से ज्यादा प्रदूषित जल गंगा में पहुंचता है • 764 ईकाइयां पूरे देश में गंगा के किनारे चलती हैं। (विस्तृत : दैनिक भास्कर 29.10.2014)

कचरा प्रबंधन पर खर्च होगी 50 फीसदी राशि

शहरों को नारकीय स्थिति से बनाने के लिए राज्य सरकार कचरा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने निर्णय लिया है कि 13 वें वित्त आयोग से मिलने वाली अनुदान राशि का 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा। केंद्र से मिलने वाली यह राशि जनसंख्या के आधार पर शहरी नगर निकायों को मुहैया करायी जाएगी। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 31.10.2014)

निवेदन

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके दूरभाष, मोबाईल, ई-मेल में परिवर्तन हो गया हो तो चैम्बर कार्यालय को लिखित रुप में सूचित करने की कृपा करें।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल

प्रधानमंत्री : नरेंद्र मोदी

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्ज़ा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए अन्य सभी मंत्रालय।

कैबिनेट

1.	राजनाथ सिंह	गृह मंत्रालय
2.	सुषमा स्वराज	विदेश, प्रवासी भारतीय मामले
3.	अरूण जेटली	वित्त, कोंरपोरेट मामले, सूचना प्रसारण
4.	मनोहर परीकर	रक्षा मंत्रालय
5.	एम. वैंकेया नायडू	शहरी विकास, अवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन, संसदीय कार्य
6.	नितिन गडकरी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी
7.	चौधरी बीरेंद्र सिंह	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयलज एवं स्वच्छता
8.	सुरेश प्रभु	रेल मंत्रालय
9.	डी. वी. सदानंद गौड़ा	कानून एवं न्याय
10.	उमा भारती	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा पुनरूद्धार
11.	डॉ नजमा ए. हेपतुल्ला	अल्पसंख्यक मामले
12.	राम विलास पासवान	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
13.	कलराज मिश्र	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
14.	मेनका गांधी	महिला एवं बाल विकास
15.	अंनत कुमार	रसायन एवं उर्वरक
16.	रविशंकर प्रसाद	संचार एवं सूचना प्रोद्योगिकी
17.	अशोक गजपति राजू	नागरिक उड्डयन
18.	अनंत गीते	भारी उद्योग एवं लोक उद्यम
19.	हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंरकरण उद्योग
20.	नरेन्द्र सिंह तोमर	खान इस्पात
21.	जुएल उरांव	जनजातीय मामले
22.	राधा मोहन सिंह	कृषि मंत्रालय
23.	थावरचन्द गेहलोत	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
24.	स्मृति जुबिन ईरानी	मानव संसाधन विकास
25.	जे. पी. नड्डा	स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण
26.	डॉ. हर्ष वर्धन	विज्ञान और प्रोद्योगिकी

राज्य मंत्री

1.	बंडारू दत्तात्रेय	श्रम रोजगार (स्वतंत्र प्रभार)
2.	राजीव प्रताप रुड़ी	कौशल विकास (स्वतंत्र), संसदीय कार्य
3.	डॉ महेश शर्मा	संस्कृति, पर्यटन (स्वतंत्र), विमानन
4.	जनरल वी के सिंह	सांख्यिकी (स्वतंत्र), विदेश
5.	इन्द्रजीत सिंह राव	योजना (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा
6.	संतोष गंगवार	कपड़ा (स्वतंत्र प्रभार)
7.	श्रीपद यसो नायक	आयुष (स्वतंत्र), स्वास्थ्य
8.	धर्मेन्द्र प्रधान	पेट्रोलियम (स्वतंत्र प्रभार)
9.	सार्बानन्द सोनवाल	युवा माले तथा खेल (स्वतंत्र)
10.	प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण (स्वतंत्र प्रभार)
11.	पीयूष गोयल	विद्युत, कोयला, नवीन ऊर्जा (स्वतंत्र)
12.	डॉ. जितेन्द्र सिंह	पूर्वोत्तर विकास (स्वतंत्र)पीएमओ, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष
13.	निर्मला सीतारमन	वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र)
14.	जी. एम. सिद्धेश्वर	भारी उद्योग और सरकारी उपक्रम
15.	मनोज सिन्हा	रेल मंत्रालय
16.	निहालचन्द	पंचायती राज
17.	उपेन्द्र कुशवाहा	मानव संसाधन विकास
18.	राधाकृष्णन पी.	सड़क परिवहन, जहाजरानी
19.	किरण रिजीजू	ग्रह मंत्रालय
20.	कृष्ण पाल	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
21.	डॉ. संजीव बालियान	कृषि मंत्रालय
22.	मनसुखभाई वसावा	जनजातीय मामले
23.	रावसाहेब दानवे	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं पीडीएस
24.	विष्णु देव साय	खान, इस्पात
25.	सुदर्शन भगत	ग्रामीण विकास
26.	मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक, संसदीय कार्य
27.	राम कृपाल यादव	पेयजल और स्वच्छता
28.	हरिभाई चौधरी	गृह मंत्रालय
29.	सांवर लाल जाट	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार
30.	मोहनभाई कुंदरिया	कृषि मंत्रालय
31.	गिरिराज सिंह	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम
32.	हंसराज अहीर	रसायन एवं उर्वरक
33.	राम शंकर कठेरिया	मानव संसाधन विकास
34.	वायएस चौधरी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी
35.	जयंत सिन्हा	वित्त मंत्रालय
36.	राज्यवर्द्धन सिंह राठौर	सूचना प्रसारण
37.	बाबुल सुप्रियो	शहरी विकास, अवास
38.	साध्वी निरंजन ज्योति	खाद्य प्रसंरकरण
39.	विजय सांपला	सामाजिक न्याय और अधिकारिता

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.11.2014)

अगर टीटीइ करे वसूली तो इन नंबरों पर करें कॉल

यात्रियों की हो रही भारी भीड़ का फायदा जहां चोर उठा रहे हैं वहीं रेलवे के कुछ टीटीइ भी इसमें पीछे नहीं हैं। इस तरह की घटना अगर ट्रेन में आपके साथ हो रही हो, तो आप रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इन्हें करें कॉल

अमिताभ प्रभाकर, डीसीएम, पूमरे	09771449950
एन. के. गुप्ता डीआरएम, दानापुर मंडल	09771449000
अरविद कुमार रजक, पीआरओ, पूमरे	09771425006
पी. एन. मिश्रा, रेल एसपी	09431800012
संजय पांडे, डंस्पेक्टर, पटना जंकशन	09431822694
राजू कुमार, एरिया मैनेजर पटना जंकशन	09771449906
नरेश कुमार, टिकट इंस्पेक्टर	09771461479

(साभार : प्रभात खबर, 28.10.2014)

EDITORIAL BOARD
Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296